

क्रमांक 3323015 (1)/छ.ग./2013/  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग, सिहावा-भवन,  
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक /03/2018

—:आदेश:—

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर का पत्र क्र. 1734/वित्त/ब-4/चार दिनांक 24.11.11, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर का पत्र क्रमांक 1337/665/स्था/31/12 दिनांक 27.04.12 के तहत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा दिनांक 17.03.2013 को संयुक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाकर परीक्षा परिणाम में जारी संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर संयुक्त कांउन्सिलिंग की गई थी। उपरोक्त परिपेक्ष्य में उपअभियंता (वि./यां.) के पद पर रिक्त पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 11.07.2013 एवं 12.07.2016 को कांउंसिलिंग की कार्यवाही की जाकर अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण-पत्रों के जांच पश्चात् अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। छाया वर्मा पिता श्री सनत कुमार वर्मा उपरोक्त कांउंसिलिंग में सम्मिलित होने हेतु अपना बायोडाटा फार्म भर कर प्रस्तुत की थी, परंतु उनके द्वारा प्रस्तुत रोजगार कार्यालय का पंजीयन समय-सीमा के पश्चात् होने के कारण उन्हें चयनित नहीं किया गया था। तत्पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में याचिका दायर की गई। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर रिट पिटीशन (एस.) क्र. 3119/2014 में पारित आदेश दिनांक 05.01.2018 में माननीय उच्च छत्तीसगढ़ न्यायालय, बिलासपुर में रिट अपील क्र. 411/2014 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2015 के अनुसार उनके पक्ष में निर्णय पारित किया गया।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर के पूर्ण पीठ द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विभागीय छानबीन समिति द्वारा किये गये अनुशंसा अनुसार छाया वर्मा पिता श्री सनत कुमार वर्मा को तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) उपअभियंता (वि./यां.) के पद पर वेतनमान रु. 9300-34800/- + ग्रेड वेतन रु. 4200/- प्रतिमाह तथा शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्यग्रहण करने के दिनांक से निम्नलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाकर उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये कार्यालय में पदस्थ किया जाता है :-

| स. क्र. | अभ्यर्थी का नाम | पिता/पति का नाम           | वर्तमान पता                                                                 | जाति    | जन्मतिथि   | संयुक्त मेरिट सूची का रैंक क्रमांक | कार्यालय जहां पदस्थ किया जाता है                       |
|---------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1       | 2               | 3                         | 4                                                                           | 5       | 6          | 7                                  | 8                                                      |
| 1       | छाया वर्मा      | पिता श्री सनत कुमार वर्मा | ग्रा.-गोड़ी व पोस्ट - मोहदी, थाना-धरसीवा, जिला-रायपुर (छ.ग.) पिन नं. 493111 | अ.पि.व. | 23.09.1989 | 694                                | कार्यपालन अभियंता, वि./यां. भारी संयंत्र संभाग, रायपुर |

2/— किसी भी समय एक माह के पूर्व सूचना नियुक्तकर्ता को देकर या नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा अभ्यार्थी को देकर छत्तीसगढ़ सेवा (अस्थाई तथा अर्धस्थाई) नियम 60 के उपनियम 12 के अंतर्गत सेवा समाप्त की जा सकती है तथा एक माह की सूचना दिये बिना यदि वे अपनी अस्थाई सेवा छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें एक माह का वेतन तथा भत्ता या ऐसी अवधि का वेतन जो एक माह की सूचना अवधि से कम न हो देना होगा।

3/— अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी अथवा कोई तथ्य भविष्य में असत्य पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक कर दिया जाएगा।

4/— अभ्यार्थी को मेडिकल बोर्ड से शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

5/— पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति देते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, स्थाई जाति प्रमाण, निवास प्रमाण-पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नियुक्ति के एक माह के पश्चात् उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

6/— चयनित अभ्यार्थी को चरित्र सत्यापन हेतु जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तत्काल प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

7/— पुलिस अधीक्षक से प्राप्त चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र में विपरीत टीप/अपराधिक गतिविधिया पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त की जावेगी।

8/— वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 980/सी-761/वि/नि/चार/4 दिनांक 27.02.2004 के अनुसार नियुक्त अभ्यार्थी के लिए नई परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू होगी।

9/— अभ्यार्थी को पदस्थापना कार्यालय में नियुक्ति आदेश के 30 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी।

10/— कार्यग्रहण करने के तुरंत पश्चात् अभ्यार्थी को अस्थाई घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा।

11/— तकनीकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं दसवीं के अंक सूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो या जन्म प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

12/— अभ्यार्थी को वर्क्स डिपार्टमेंट मेन्युअल भाग-1 के पैरा 1.055 एवं 1.056 के अनुसार लेखा एवं यांत्रिकीय परीक्षा तीन वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

13/— उपरोक्त उपअभियंताओं के लिए इस नियुक्ति आदेश के दिनांक से दो वर्ष की अवधि परीक्षा अवधि होगी।

14/— कार्यग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

15/— उपअभियंता (सिविल) के पद पर वरिष्ठता विभागीय चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन सूची के अनुसार होगी।

16/— आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी/प्रमाण-पत्र यदि गलत पाये गये तो संबंधित उम्मीदवार, बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किए जाने का उत्तरदायी होगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के

अधीन कार्यवाही भी की जा सकेगी। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से स्थाई जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होवे अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण/रोस्टर संधारित करने संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है। यह नियुक्ति रिट पिटीशन (सी.) क्र. 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्वधीन रहेगी।



प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग  
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ.क्र. क्रमांक 3323015 (1)/छ.ग./2013/ 3846  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 07/03/2018

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, वि./यां. मंडल, रायपुर।
4. जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायपुर (छ.ग.)।
5. कार्यपालन अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर।
6. कार्यपालन अभियंता, वि./यां. भारी संयंत्र संभाग, रायपुर।  
कृपया अभ्यार्थी की शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि संबंधी एवं अन्य मूल प्रमाण-पत्रों की जांच के पश्चात् ही उपस्थिति मान्य की जावे।
7. संबंधित अभ्यार्थी (पंजीकृत डाक से) छाया वर्मा पिता श्री सनत कुमार वर्मा ग्रा.-गोड़ी व पोस्ट -मोंहदी, थाना-धरसीवा, जिला-रायपुर (छ.ग.) पिन नं. 493111 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. मास्टर नस्ती।



प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग  
छत्तीसगढ़, रायपुर